# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

**पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-08/2024** **दिनांक 19/08/2024**

**सेवा में,**

**अपर पुलिस महानिदेशक,**

**वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।**

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 18.08.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. स्वाट/सर्विलांस एवं थाना शादियाबाद पुलिस की सयुंक्त टीम द्वारा गो तश्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर ,02 अदद खोखा 315 बोर बरामद हुए।**

आज दिनांक 18.08.2024 को मुखबिर खास द्वारा गोकशी की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक श्री श्यामजी यादव थाना शादियाबाद मय टीम के चार व्यक्तियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो चारों व्यक्तियों ने दो राशि गोवंश को काटकर उसका मांस बेचने हेतु ग्राम मोहब्बतपुर सड़क के किनारे बने पुराने खण्डहर के पास बोरो में व स्कूटी के शीट के नीचे डिग्गी में गोमांश को काटकर छिपाने की बात बतायी जिसे उक्त चारो व्यक्तियों के निशादेही पर गोवंश का मांस बरामद किया गया। दौराने बरामदगी एक अभियुक्त चुन्नू कुरैशी पुत्र दाईल कुरैशी निवासी मसौउदपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा पुलिस को एक बारगी धक्का देकर पुराने खंण्डहर की ओर झाँड़ियों की तरफ भागा तथा पूर्व मे खण्डहर व झाँडियों में छिपाकर रखे असलहे को निकालकर,आड़ लेकर पुलिस को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा। आत्मरक्षार्थ संतुलित जवाबी कार्यावाही में पुलिस द्वारा फायर किया गया तो बदमाश के बाये पैर में गोली लगी हैं, जिसको प्राथमिक उपचार हेतु सी0एच0सी0 मनिहारी भेजा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पताः-**

1.अभियुक्त चुन्नू कुरैशी पुत्र दाईल कुरैशी निवासी मसौउदपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 36 वर्ष। (घायल अभियुक्त)

2.सेराज अहमद पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी मसौउदपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष।

3.शादाब आलम पुत्र गुलाम नवी निवासी तुलसीपुर तेलपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 30 वर्ष।

4.मोहम्मद राजा कुरैशी उर्फ साजिल पुत्र मोहम्मद मेराज कुरैशी निवासी मु0 निगाहीबेग खुदाईपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र-20 वर्ष।

**बरामदगीः-** 01 अदद तमंचा 315 बोर ,02 अदद खोखा 315 बोर

**02. थाना बरेसर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 102/2024 धारा 8/20 NDPS Act से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.08.2024 को थाना बरेसर थानाध्यक्ष राजीव कुमार त्रिपाठी मय हमराह का0 देवानन्द का0 शशांक प्रताप सिंह द्वारा अवैध गांजा तस्करी, गोतस्करी, वाछिंत / इनामिया अपराधियो, चोरो / लुटेरो, वारण्टी की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु रवाना थे,थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 102/2024 धारा 8/20 NDPS Act से सम्बन्धित अभियुक्त प्रियांशु राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासी फुल्ली सोनहरिया थाना जमानिया जनपद गाजीपुर, उम्र 18 वर्ष को 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ सिपाह नहर चौराहा थाना बरेसर से समय 05.00 बजे गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-**

01.प्रियांशु राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासी फुल्ली सोनहरिया थाना जमानिया जनपद गाजीपुर।

**आपराधिक इतिहासः-**

01. मु0अ0सं0 102/2024 धारा 8/20 NDPS Act थाना बरेसर गाजीपुर।

**बरामदगीः-** 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

**पुलिस अधीक्षक**
**गाजीपुर**